

उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-14
संख्या-56/2019/135/23-14-2019-02आ0बु0वि0नि0/18
लखनऊ: दिनांक: 11 फरवरी, 2019

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत जनपद-महोबा में बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत 04 कार्यों के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-41/2019/1363/23-14-2018-02आ0बु0वि0नि0/18, दिनांक 30.12.2018 जारी हुआ है। उक्त शासनादेश में 04 कार्यों से सम्बन्धित तालिका के क्रमांक-1 से 4 पर अंकित कार्य की कार्यदायी संस्था का नाम टंकण त्रुटिवश प्रान्तीय खण्ड, महोबा उल्लिखित हो गया है। उक्त चार कार्यों की कार्यदायी संस्था निम्नवत् पढ़ा जाय:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था
1	2	3
1	पाठा से गढ़हरी का निर्माण।	निर्माण खण्ड-1, महोबा
2	केन्द्रीय विद्यालय दिसरापुर सम्पर्क मार्ग।	प्रान्तीय खण्ड, महोबा
3	कोटरा पुल से नगराघाट मार्ग धसान नहर पर मार्ग का शेष भाग ।	निर्माण खण्ड-1, महोबा
4	कुण्डार से टिकरी सम्पर्क मार्ग।	निर्माण खण्ड-1, महोबा

2- उक्त शासनादेश संख्या-41/2019/1363/23-14-2018-02आ0बु0वि0नि0/18, दिनांक 30.12.2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(संजय कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या-56/2019/135(1)/23-14-2019-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ०प्र०, प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।
- 3- आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा ।
- 4- जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, महोबा ।
- 5- विशेष कार्याधिकारी, मा० उप मुख्य मंत्री व मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता, झांसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, झांसी ।
- 9- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, महोबा ।
- 10- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।
- 11- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
उप सचिव।

-
- 3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।